न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1889/2017

सायल	बनाम	गैर–सायलान
1. बाबुलाल पुत्र हुकमाराम जाति–रेगर, निवासी–आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. गोपाल पुत्र रतना 2. प्रकाश पुत्र रतना जाति–भांबी, निवासीगण–आगेवा,तहसील–जैतारण 3. प्रेमलता पत्नी दिनेश कच्छावाह जाति–सरगरा, निवासी–जैतारण 4. शोभादेवी पत्नी जोहरीलाल चौहान जाति–सरगरा, निवासी– हीरापथ गुरुद्वारा के पास मान सरोवर जयपुर हाल मुकाम– पावन धाम के सामने जैतारण। 5. पुसाराम पुत्र हुकमाराम जाति–भांबी, निवासी–आगेवा, तहसील–जैतारण 6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.05/12/2017

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 06/02/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–आगेवा में प्रार्थी के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 15–16 बीघा आई हुई है। जिसकी चालू जमांबदी व नक्शा ट्रेस व मौके की स्थिति का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ एक प्रस्तावित रास्ता व मौके की स्थिति का नजरी नक्शा पेश किया है जिसमें अपनी भूमि को पीले रंग से दर्शाया है जो प्रार्थनापत्र के साथ पेश है तथा भूमि पर प्रार्थी का शुरू से काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 427 के कृषि भूमि पास ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास में ही जैतारण से पाली जाने वाली हाईवे सडक आई हुई है तथा जैतारण से पाली जाने वाली हाईवे सडक से अप्रार्थीगण के खेत की मांठ से होते हुए नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये प्रस्तावित रास्ते मार्क ए बी सी डी से प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि कार्य में खडाई बुवाई कटाई तथा ट्रेक्टर मवेशी आदि के लिये प्रार्थी अपने खते में जाने हेतु खसरा नम्बर 424 की मांठ के पास स्थित पगडंडी से अपने खेत में शुरू से बिना रोकटोक के आते जाते रहे है। जिसको प्रार्थी ने अपने नजरी नक्शे में लाल रंग से बिन्दु ए से बी व सी से डी से दर्शाया हैं। जिसकी लम्बाई करीबन 300 फिट तथा चौडाई करीबन 30 फिट है। इसी रास्ते को प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नहीं है इसलिए उक्त रास्ता कायम करने हेतु विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी शुरु से उक्त नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते से होकर आता जाता रहा है तथा बैलगाड़ी ट्रेक्टर से अपने खातेदारी भूमि की बुवाई कटाई आदि बिना किसी रोकटोक के करता रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण कई बार बाधा उत्पन्न करते है तथा नजरी नक्शे में स्थित रास्ते व अपने खेत के चारों तरफ कांटे डाल देते है तथा तारबंदी करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने मे कठिनाई पैदा होगी। प्रार्थी अपने खेत में ट्रेक्टर उक्त रास्ते से ले जाता है तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा पर उतारू हो गये तथा प्रार्थी द्वारा अपने खेत में टैक्टर जाने हेतु बार बार निवेदन किया लेकिन वो अपनी हठ्धर्मिता पर अडे रहे तथा टैक्टर को अपने खेत में नहीं घुसने दिया तथा कहा कि हम संख्या बल में अधिक है तथा एलानिया धमकी दी कि हम इस रास्ते को हमेश हमेशा के लिये बंद कर देंगे। दिनांक 16/10/2017 को प्रार्थी जैतारण से पाली जाने वाली मुख्य हाईवे सडक से अपने खेत में जाने लगा तो अप्रार्थीगण मौके पर तारबंदी करके पुरानी पगडण्डी/रास्ता को रोक दिया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को गांव के मौजिज व्यक्तियो से खुब समझाया तथा कहा कि हम रास्ते की भूमि के एवज में नियमानुसार रूपये अदा करने को तैयार है और आप इस रास्ते को मत रोको तथा रास्ता खोल दो लेकिन वो लोग और ज्यादा उग्र हो गये तथा नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि इस रास्ते से होकर यदि तुम लोग आयेगे तो हम लोग तुम्हे जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थी बल से कम है तथा अप्रार्थीगण संख्या व शक्ति में ज्यादा है तथा धनवान व्यक्ति है जो कभी भी प्रार्थी के साथ लडाई झगडा कर उसे असीम हानि पहुंचा सकते है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने नजरी नक्शे में स्थित पगडंडी व रास्ते को खुलवाने हेतु यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। बिनाय वाद ग्राम आगेवा में दिनांक 16/10/2017 को पैदा हुआ जब अप्रार्थीगण ने रास्ते में तारबंदी करके रास्ता बंद कर दिया तथा जान से मारने की ऐलानिया धमकी दी जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद नोटिसेज सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त संबंध में तहसीलदार जैतारण को क्रमांक/कोर्ट/2018/66 दिनांक 14/01/2019 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार जैतारण ने रिर्पोट प्रस्तुत की कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आगेवा ख.नं. 427 में आने जाने वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। ख.नं. 424 में से रास्ता प्रस्तावित हैं। जिसका रकबा 05 बिस्वा हैं। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. रेट 31239 रू. प्रति बीघा हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक नही हैं।

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 2015 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार –

" (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञान किया जा सकेगा।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट अनुसार एवं अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार किसी कृषक को अपनी जौत तक आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर नजदीकी खातेदारी भूमि जिसमें कम से कम दूरी हो उसमें से आने जाने का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मय प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 424 में से 5 बिस्वा, रकबा बनता है। नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। लिहाजा प्रार्थी को खसरा नम्बर 427 में आने व जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 424 में से 5 बिस्वा, जिसकी वर्तमान अधिकत्तम डीएलसी दर 31239 रू. प्रतिबीघा है। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए **15619/-** रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 424 में रकबा 5 बिस्वा का सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–आगेवा, पटवार हल्का–आगेवा, तहसील–जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 427 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 424 में से 0–05 बीघा का रास्ता कायम करने व अधिकतम डीएलसी दर खसरा नम्बर 424 की 31239 रू. प्रतिबीघा है। बाजार मूल्य मद्देनजर अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए **15619/-** रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करें एवं खसरा नम्बर 424 में रकबा 5 बिस्वा का माफिक तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल रटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक **06/02/2019** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल रटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)